कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल-25, रामगंगा विहार-प्रथम फेज, निकट सोनकपुर स्टेडियम, काँठ रोड, मुरादाबाद-दूरभाष संख्या-0591-2450066)

पत्रांक 1906 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, जनवरी, 20 2016.

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0,
सेतु निर्माण इकाई,
एम0आई0जी0, डी-8, रामगंगा विहार,
फेज-प्रथम, एम0डी0ए0 कालोनी,
मुरादाबाद।

विषय:- जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद-दिल्ली मार्ग (एन0एच0-24) कि0मी0 155-156 के मध्य दो लेन उपरिगामी सेतु के चौड़ीकरण हेतु 0.602 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 128 वृक्ष व 3 पौधों कुल 131 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:- भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र स0-8बी/यू0पी0/09/55/2015/एफ0सी0 /1317 दि0 18-01-2016.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस संबन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त संदर्भित पत्र दि0 18-11-2015 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं0-1 से 5 तक के संबन्ध में निम्न प्रकार अनुपालन आख्या एवं मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ की पत्र सं0-384/2-37-2 (ई-पेमेन्ट पोर्टल) दि0 -09-2015 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार वांछित अभिलेख तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इस संबन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके-

(1) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित कुल वन भूमि के दोगुने अवनत वन भूमि अर्थात 1.204 है0 (0.602 x 2=1.204 है0) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 3,12,438/- का भुगतान ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से ***Compensatory Afforestation Fund (C.A.F.) Uttar Pradesh A/C No. S.B.A. 25230 Corporation Bank C.G.O. Complex, Lodi Road New Delhi*-110003 (IFSC No. CORP 0000371)** के नाम देय हो, इस कार्यालय में जमा करना होगा।

(2) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत् दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के अनुसार निर्धारित धनराशि रू0 (0.602 है0 दर प्रति है0 रू0 636000/-) **382872/-** की धनराशि ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से ***Compensatory Afforestation Fund (C.A.F.) Uttar Pradesh A/C No. S.B.A. 25230 Corporation Bank C.G.O. Complex, Lodi Road New Delhi*-110003 (IFSC No. CORP 0000371)** के नाम देय हो, इस कार्यालय में जमा करना होगा।

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0बी0-25230, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) नई दिल्ली, लोधी कॉमप्लैक्स में जमा कराया जायेगी, जिसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक/ आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 (जो भी लागू

हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाय। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(3) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगें कि यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

(4) विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांतर एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।

(5) प्रयोक्ता अभिकरण का यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होगी।

(6) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनके स्वयं के व्यय पर प्रस्तावित सेतु के नीचे सम्पूर्ण लम्बाई में ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जायेगा, जिसके लिए ग्रीन बेल्ट निर्माण की योजना एवं अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की जायेगी।

उपरोक्त शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। याचक विभाग को वन भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तांतरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,

Bonit Ch. Brahma
(डा० बी०सी० ब्रहम)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

पत्रांक (1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को विषयक कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
3– लेखा लिपिक, सा०वा० प्रभाग, मुरादाबाद।

(डा० बी०सी० ब्रहम)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल–25, रामगंगा विहार–प्रथम फेज, निकट सोनकपुर स्टेडियम, काँठ रोड, मुरादाबाद–दूरभाष संख्या–0591–2450066)

पत्रांक – 1949 /14–1 दिनांक, मुरादाबाद, जनवरी, 21 2016.

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0,
सेतु निर्माण इकाई,
एम0आई0जी0, डी–8, रामगंगा विहार,
फेज–प्रथम, एम0डी0ए0 कालोनी,
मुरादाबाद।

विषयः– जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद–दिल्ली मार्ग (एन0एच0–24) कि0मी0 155–156 के मध्य या [illegible] उपरिगामी सेतु के चौड़ीकरण हेतु 0.602 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 128 वृक्ष व 3 पौधों कुल 131 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति।

संदर्भ– 1–भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0–8बी/यू0पी0/09/55/2015/एफ0सी0 /1317 दि0 18–01–2016.
2–इस कार्यालय की पत्र संख्या–1906/14–1 दि0 20–01–2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम मे अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण बाधक 128 वृक्षो एवं 3 पौधों कुल 131 वृक्षों/पौधों के छपान हेतु धनराशि (प्रमुख वन संरक्षक उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–प–105/16–57 (लाट) दिनांक 23–9–2014 के बिन्दु संख्या–2 में हुए संशोधन के अनुसार रू0 10/– प्रति वृक्ष के आधार पर) 131 वृक्षो/पौधों दर 10 रू0 प्रति वृक्ष के आधार पर रू0 1310 का बैंक ड्राफ्ट जो की प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुरादाबाद के नाम देय हो इस कार्यालय को [illegible] कराने का कष्ट करें। ताकि इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(डा0 बी0सी0 [illegible])
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद।

पत्रांक (1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि लेखा लिपिक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद को विषयक कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 बी0सी0 [illegible])
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद।